



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.44(51)पंरावि/प्रशि./स्वामित्व/2023/पार्ट-3/

दिनांक:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद् समस्त, राजस्थान।

विषय :- "स्वामित्व योजना" के क्रियान्वयन बाबत।

**प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 48 दिनांक 18.01.2021, 353 दिनांक 01.04.2022 एवं
55 दिनांक 22.02.2023 के क्रम में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में स्वामित्व योजना के राज्य में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. स्वामित्व योजनान्तर्गत भू-खण्ड धारकों का सम्पत्ति दस्तावेज (टाइटल डॉक्यूमेंट) तैयार किये जाते समय पंचायती राज नियम 1996 के अध्याय 9 में वर्णित स्थावर सम्पत्तियों से सम्बन्धित प्रावधान अनुरूप पुराने गृहों का विनियमितीकरण, भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन, भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन, सरकारी संस्थाओं को आबादी भूमि का आवंटन एवं नीलामी से सम्बन्धित नियमों में वर्णित प्रावधान अनुरूप ही नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।
2. भौतिक सर्वेक्षण उपरांत भारतीय सर्वेक्षण विभाग से मैप-2 प्राप्त होने पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत पट्टा निर्माण की कार्यवाही की जावे तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि पूर्व में जारी पट्टे एवं वर्तमान कब्जे के आधार पर क्षेत्रफल कम या अधिक होने की स्थिति में, पट्टे में नियमानुसार संशोधन कर लेवें तथा यह भी सुनिश्चित किया जावे कि पंचायती राज संस्थाओं को किसी भी प्रकार की राजस्व हानि न हो।



उपरोक्तानुसार निर्देशों का अध्ययन कर, इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अपने-अपने ज़िलों में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(रवि जैन)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. ए.सी.पी., पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (तृतीय)

